

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन)
(संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1973)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 18 जनवरी, 1973 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 जनवरी, 1973 ई० को बंठक में स्वीकृत किया।)

(भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 31 जनवरी, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारों असाधारण गजट में दिनांक 31 जनवरी, 1973 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये—

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उप-धारा (1) में शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 1973" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 1973" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 36
1972 की धारा
3 का संशोधन

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

THE UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY
RESTRICTIONS ON TRANSFER) (AMENDMENT) ACT, 1973

(U. P. ACT No. 7 OF 1973)

{* *Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Adhikaram Sampatti Seema
(Antaran Par Asthai Nirbandhan) (Sanskodhan) Adhiniyam, 1973*}

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary
Restrictions on Transfer) Act, 1972*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India
as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property Short title.
(Temporary Restrictions on Transfer) (Amendment) Act, 1973.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, in sub-section (1), for the words and figures "January 31, 1973", the words and figures, "April 30, 1973" shall be substituted. Amendment of section 3 of U.P. Act 36 of 1972.

(*For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary) dated January 22, 1973.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 18, 1973, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 24, 1973, with amendments which were approved by the Legislative Council on January 25, 1973).

(Received the Assent of the President on January 31, 1973 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated January 31, 1973).